

29/11/21

यजुलाय सपरिचित।  
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अथ राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/  
अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तावा होकर पत्राचार के माध्यम से पेश हो।



उप सचिव अधिकारी एवं उप  
सचिव मजिस्ट्रेट, सीजन

02/10/21

अधिवक्ता प्राचीया उप-1।  
पत्राचारी आप्र प्रशासन शब्दों के अंग अभियान के पेश किए  
अपनी संख्या। तदनुसार सौजन्य के तहत आप्र  
बाद सभित्त वा. मि. है। अप्रति तदनुसार सौजन्य  
इस प्रकृत जनक प्रार्थना पर वा. मि. है। अधि-  
वक्ता मय प्रार्थिया ने प्रार्थना पर अनुरोध चयन  
110, 111 एवं 128 अ. शब्दक अधिनियम 1956 का  
पेश कर निवेदन किया कि शरद मोषा नाम  
अपडियाण पत्रक एक समाजनी का नाम प्रार्थिया  
की अर्जि लखन नम्बर 443 शब्दा 1.28.00 हस्त  
अर्जि हुई स्थित है। प्रार्थिया की अर्जि तथा  
इसके पत्रोली कावलाके की अर्जि के प्रथम  
भागे के लेख लिखा होता था कि यह एक  
विवाद की समाप्तनामों पर प्रार्थिया द्वारा किंक  
14/6/21 को तदनुसार कार्यलय में सीमासन के  
लिख आवेदन किया। किंक 14/6/21 को T.O.R.  
3000 की उपस्थिति में सीमासन किया गया  
किंतु पत्रोली कावलाके इस भाग लेखा किया  
जाने के मोठे पर सीमासन नहीं हो सका।  
इस प्रकार प्रार्थिया ने प्रार्थना पर प्रकृत कर  
अर्जि अर्जि का लिखक कर मोठे पर फलपत्ती  
के अर्जि मूयम लागे जाने के आरोप जारी  
की करने की इत्तावा की है।  
तदनुसार सौजन्य इस अपने जनक प्रार्थिया  
पर में लिखक करने व प्रत्यत शरी के अर्जि  
मूयम लागे के आरोप जारी करने में कोई आप्रति  
नहीं होना जादित किया है।



100

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अडकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

बदल के दौरान अखिवक्ता प्रथिया ने निवेदन किया कि प्रथिया की शक्ति अग्रे में पड़ोसी जहाँ अग्रे के अखिवक्ता द्वारा दोनो अग्रे में प्रथिया-दिएतु ग्राह को लेकर विवाद होता रहता है। यदि मोठे पर अखिवक्ता अग्रे का सिमॉन किया जाकर परपट गरी के अग्रे मूयम लगाने जाये तो प्रथिया की शक्ति के क्षेत्र का लक्ष्य बनने से विवाद समाप्त हो जायेगा। अतः सिमॉन के अग्रे परपट गरी व मूयम लगाने के आदेश जारी करने की इच्छा-इतनी थी। तहसीलदार लोपट का इच्छासूचक जबाब देने तथा तहसीलदार लोपट सादरीकृत अवकाश में होने से बहुत एक पक्षीय इन्नी गरी

परपट गरी का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, फर्देश मय दस्तावेज का अवलोकन कर बहुत अखिवक्ता प्रथिया पर गौर से प्रश्न किया गया। वस्तुतः शपथ मोजा ग्राम-चापडियाण्ड के ख.न. 443 रकबा 1.2800 हेक्टर इच्छा बावने अखिवक्ता अग्रे का मूयम उग्रय पक्षकार्य सिमॉन अग्रे का अग्रे मोजा इच्छासूचक उचितेदन-चापडियाण्ड राजा में प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार लोपट को आदेशित किया जाना उचित समझे है।

-:: आदेश ::-


अखिवक्ता सिमॉन व सिमॉन के अग्रे पर अखिवक्ता अय प्रथिया द्वारा प्रस्तुत पत्र अखिवक्ता द्वारा 110 111 एवं 128 अ. शब्द अग्रे नियम 1956 का अखिवक्ता योग्य होने से अखिवक्ता किया जाता है। तहसीलदार लोपट को आदेश दिया जाता है कि शपथ मोजा ग्राम-चापडियाण्ड के अखिवक्ता नम्बर 443 रकबा 1.2800 हेक्टर बावने प्रथिया की शक्ति का मूयम पक्षकार्य सिमॉन अग्रे जाने एवं मूयम लगाने मोठे पर परपट गरी करने हेतु सादरीकृत परपट एक अन्य पक्षीय अ. न. 110 111 एवं 128 लोपट के अंतर्गत में शिम

*[Handwritten signature]*

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

का गन् कये। निर्णय को प्रोटे (परिष्कार केन्द्र)  
को कोठी जाकर वासना प्रोवरि जोव। फावली  
केसम सुमार दोकर नकर से कम हो। काप  
तकमिच जाणा शालेय यमर / लेख्य प्रकाशना  
हो।

  
(गोपाल जांगी)

उपखण्ड अधिकारी सोनत

निर्णय माप दिनांक 02/10/21 को मेरे हस

सिधवाया जाकर सुनाया गया।

  
(गोपाल जांगी)

उपखण्ड अधिकारी, सोनत

न्याया

क्रमांक / कोर्ट

प्रसित-